झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

तृतीय झारखण्ड विधान सभा — दशम् (शीतकालीन) सत्र

संख्या-02 — सोमवार, दिनांक- 03 दिसम्बर, 2012 ई०।

समय-11.00 बजे पूर्वाह्न से 03.44 बजे अपराह्न तक ।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपनी-अपनी जगह पर खड़े होकर पैनम कोल का मामले को लेकर जाँच की माँग करने लगे।)

1.प्रश्नकाल :-

अ० सू०-01, श्री दीपक बिरुवा, स० वि० स० द्वारा पूछा गया, लेकिन उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इसपर विभागीय मंत्री द्वारा समय की माँग की गयी।

इस बीच झारखण्ड विकास मोर्चा एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्य सदन की वेल में आकर अपनी माँगों के समर्थन में नारा लगाने लगे। आसन द्वारा माननीय सदस्यों को प्रश्नकाल बाधित न करने की सलाह दी गयी और सदन में शांति बनाये रखने हेतु अपील की गयी, परन्तु सदन में शोरगुल का माहौल व्याप्त रहा।

शोरगुल के बीच सत्तापक्ष के माननीय सदस्य सर्वश्री जगरनाथ महतो, शशांक शेखर भोक्ता, रामदास सोरेन, विद्युतवरण महतो एवं श्री उमाशंकर अकेला भी सदन की वेल में आकर कुछ कहने लगे जो सुनाई नहीं दे रहा था।

माननीय सदस्यों द्वारा शांति बनाये रखने की अपील को अनसुनी करने के कारण माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन की कार्यवाही 12.00 बजे मध्याह्न तक के लिए स्थगित कर दी।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

2. विविध चर्चायें:-

i. माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव ने पैनम कोल के सम्बन्ध में दिये गये कार्य स्थगन प्रस्ताव की ओर आसन का ध्यानाकृष्ट किया। आसन द्वारा अवगत कराया गया कि चूँकि इस विषय पर दिनांक- 30.11.2012 को उनके द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया जा

(कृपया पृष्ठ उलटें) →

चुका है और वह स्वीकृत है, इसलिये अब एक ही मामले पर कार्यस्थगन प्रस्ताव देना उचित नही है। अतएव नियमानुसार इसे अमान्य कर दिया गया है।

ii. सदन के बाहर धरने पर बैठे चार माननीय सदस्यों को सदन में ले आने हेतु माननीय सदस्य श्री रघुवर दास ने आसन से आग्रह किया। आसन द्वारा माननीय मंत्री, श्री मथुरा प्रसाद महतो एवं माननीय नेता, प्रतिपक्ष को इसके लिये अधिकृत किया गया। इसके पश्चात् धरने पर बैठे माननीय सदस्य सर्वश्री उमाकांत रजक, नवीन कुमार जयसवाल,कमल किशोर भगत एवं श्री रामचन्द्र सहिस सदन में लाये गये।

iii. माननीय नेता,प्रतिपक्ष ने पैनम कोल के मामले को कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में उठाये जाने का आग्रह किया। इस बीच माननीय सदस्य श्री समरेश सिंह सदन की वेल में आकर कुछ कहने लगे जो शोरगुल के कारण स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था।

iv. माननीय सदस्य श्री प्रदीप यादव पैनम कोल की जाँच हेतु टीम गठित कर वहाँ भेजने की माँग करने लगे।

अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 12.45 बजे अप० तक के लिये स्थगित कर दी गई।

(स्थगनोपरांत)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आसन ग्रहण करते ही पूर्व की भाँति सदन में शोरगुल जारी रहा।

3. सभा मेज पर कागजात का रखा जाना:-

माननीय श्री हेमन्त सोरेन, प्रभारी मंत्री, वित्त द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन- वित्त लेखे 2011-12 एवं विनियोग लेखे 2011-12 को सदन पटल पर रखा गया जो सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ।

4.वित्तीय कार्य:-

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त, श्री हेमन्त सोरेन द्वारा ''मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग'' से सम्बन्धित मांग पेश की गयी। पुकारे जाने के बावजूद भी श्री प्रदीप यादव,श्री बंधु तिर्की,श्री कृष्णानन्द त्रिपाठी एवं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, स० वि० स० द्वारा कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

(शोरगुल जारी)

अव्यवस्था के माहौल को देखते हुए सदन की कार्यवाही 2.00 बजे अप० तक के लिये स्थगित कर दी गई। (क्रमशः)

(अन्तराल के बाद)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय के सदन में नहीं होने की ओर झारखण्ड विकास मोर्चा एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने आसन का ध्यान आकृष्ट किया। आसन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि माननीय मुख्यमंत्री किसी बैठक में भाग लेने गये है।

(क्र० पृ० उलटें) →

पूर्व की भाँति अपनी माँगों को लेकर झारखण्ड विकास मोर्चा के सभी माननीय सदस्य सदन की वेल में आ गये तदुपरांत सदन की कार्यवाही 3.00 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित कर दी गयी।

(स्थगनोपरांत)

इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया

पूर्व की भाँति झारखण्ड विकास मोर्चा के माननीय सदस्य पैनम कोल में हुई गडबड़ियों की जाँच हेतु आसन से अनुरोध करने लगे जिसका समर्थन माननीय नेता, प्रतिपक्ष ने भी किया। आसन द्वारा उन्हें अवगत कराया गया कि इस सम्बन्ध में प्रभारी मंत्री, खनन एवं भूतत्व विभाग को कागजात उपलब्ध करा दिये गये है और वे स्थिति स्पष्ट करेंगे तदुपरांत माननीय प्रभारी मंत्री, खनन द्वारा वस्तुस्थिति से सदन को अवगत कराया गया। झारखण्ड विकास मोर्चा के माननीय सदस्य इससे संतुष्ट नहीं हुए और सदन की वेल में आकर समिति गठित किये जाने की माँग करने लगे।

5.वित्तीय कार्य(क्रमांक- 4 से जारी):-

''मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग '' से सम्बन्धित मांग सभा द्वारा पारित की गयी तत्पश्चात् वित्तीय वर्ष- 2012-13 के द्वितीय अनुपूरक आय-व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की शेष माँगें गिलोटिन (मुखबंद) द्वारा बारी-बारी से पारित की गयी।

6.विधायी कार्य:-

क. झारखण्ड विनियोग (संख्या-4)विधेयक, 2012

माननीय प्रभारी मंत्री वित्त, श्री हेमन्त सोरेन द्वारा सभा की अनुमति से उपर्युक्त विधेयक को पुर:स्थापित किया गया।

पुर:स्थापनोपरांत माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत उपर्युक्त विधेयक पर विचार का प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

खण्डश: विचार के क्रम में विधेयक के खण्ड-2, अनुसूची, खण्ड-1, प्रस्तावना एवं नाम बारी-बारी से सभा की अनुमति से इस विधेयक के अंग बने।

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री ने उपर्युक्त विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

झारखण्ड विनियोग (संख्या-4)विधेयक, 2012 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ।

7.शोक प्रकाश:-

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल एवं लातेहार के पूर्व सदस्य विजय वीरेन्द्र कुमार के निधन पर सदन द्वारा शोक व्यक्त कर श्रद्धांजलि दी गयी तथा दो मिनट का मौन रखा गया तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक- 04.12.2012 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक- 3 दिसम्बर, 2012

समरेन्द्र कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा ।